–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 106 / 2022

उनवान

भागचन्द पुत्र छगनलाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. नरसी पुत्र किशन
2. राधाकिशन पुत्र धूला
3. रामगोपाल पुत्र सुरजकरण
4. रामदयाल पु. उगमा
5. संता देवी पुत्री श्रीकिशन
6. हंगामी देवी पत्नी धूला
7. हरदयाल उर्फ हनुमान पुत्र उगमा
8. शैतान पुत्र राधाकिशन
9. हेमराज पुत्र राधाकिशन समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
10. मैनेजर स्टेट बैंक आर्फ इण्डिया शाखा तिहारी, नसीराबाद
11. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 10 अनुपस्थित, 11 जरियें राज. पैरोकार

12. छोटी पत्नी छगनलाल
13. कमला पत्नी लालाराम पुत्रवधु छगनलाल
14. शैतान पुत्र लालाराम पौत्र छगनलाल
15. मुन्ना पुत्र लालाराम पौत्र छगनलाल
16. माया पुत्री लालाराम पौत्री छगनलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 12 से 16 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: [illegible] :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद [illegible] ग्राम तिहारी के वर्किंग खसरा नम्बर 4899 रकबा 2–0–0 व 4900 रकबा [illegible] हाल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.28 व 6453 रकबा 0.04 की आराजी वादी के पिता [illegible]नलाल पुत्र कल्याणमल प्रतिवादीगण के पूर्वज से दिनांक 09.08.1972 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। क्रय दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा हाल जमाबंदी में सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी है, तथा प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर लिया है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा को रहन मुक्त कर उसका खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 व राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4899 रकबा 2–0–0 व 4900 रकबा 0–5–0 की आराजी तत्कालीन खातेदार सुरजकरण, नारायण बालिग व श्रीकिशन ना.बा पि. नन्दराम तथा धूला पुत्र सांवता ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.08.1972 को छगनलाल पुत्र कल्याणमल को बैचान कर दी थी। वंर्किग खसरा नम्बर 4900 के हाल खसरा नम्बर 6452 रकबा 0.73 व 6453 रकबा 0.04 बने है। व वंर्किग खसरा नम्बर 4899 के हाल खसरा नम्बर 6454 रकबा 0.28 बने है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 4899 रकबा 2–0–0 खाता संख्या 114/186 में वादी के पिता/केता छगनलाल पुत्र कल्याणमल के नाम दर्ज है। तथा वंर्किग खसरा नम्बर 4900 रकबा 4–10–0 खाता संख्या 178/186 में धूला पुत्र सांवता 1 हिस्सा, सुरजकरण, नारायण श्रीकिशन पि. नन्दराम 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र पुत्र शोबक्ष 1/2 हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 4899 का अंकन विक्रय पत्र की पालना में वादी के पिता के नाम कर दिया था। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 6454 रकबा 0.28 व 6453 रकबा 0.04 को त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत होने से जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा शजरा भी पेश किया गया है। वादग्रस्त सम्पदा पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा गैरकानूनी तरीके से ऋण दिया गया है जबकि आराजी मुतनाजा वादी के पित्ता की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। प्रतिवादी संख्या 10 आराजी मुतनाजा के ऋण की राशि अन्य भूमि से वसुल कर सकता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा दिया गया ऋण वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के हितों पर अप्रभावी है। राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र की पालना नही होने के कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6454 रकबा 0.28 व 6453 रकबा 0.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 को उक्त आराजी का खातेद[illegible]लदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवा[illegible]कार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जा[illegible]।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उप[illegible] अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भागचन्द बनाम नरसी

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 106 / 2022
पेश करने की दिनांक – 18.07.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल करई रुबरु देवीलाल यादव (आर ए एम)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई जितेन्द्र गुर्जर राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6454 रकबा 0.28 व 6453 रकबा 0.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 1 जून 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद